# मध्यप्रदेश विधान सभा

## जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

### दैनिक कार्य सूची

**शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2007 (श्रावण 5, 1929)**

**समय 9.00 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री :-

(I) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 850/म.प्र.विनिआ /2007, दिनांक 17 मई, 2007,

(ख) क्रमांक 1061-म.प्र विनिआ-2007-शुद्धि-पत्र, दिनांक 11 जून, 2007,

(ग) क्रमांक 1068 म.प्र.विनिआ-2007, दिनांक 12 जून, 2007, तथा

(घ) क्रमांक 821/म.प्र.विनिआ /2007, दिनांक 11 मई, 2007,

(II) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(ख) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि हेतु, तथा

(III) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2006-2007 ; तथा

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री राजनारायण सिंह पूरनी, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक भिण्ड के अध्यक्ष द्वारा पेपर ट्रांजेक्शन के आधार पर फर्जी वसूली किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, अटेर क्षेत्र सहित प्रदेश में बी.पी.एल.सूची से पात्र लोगों के नाम काटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, रीवा संभाग में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, सुनील नायक, सदस्य, भोपाल में पत्रकार की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना वनमण्डलाधिकारी द्वारा लकड़ी की नीलामी में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री आरिफ अकील, राजनारायण सिंह पूरनी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम गुंजारी के डूब प्रभावित आदिवासी परिवारों को पुनर्वास अनुदान न दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में फ्लोराईडयुक्त पेयजल का प्रदाय होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री कृष्ण कुमार सिंह "भंवर साहब", सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में हाईटेंशन पावर लाईन डाले जाने के लिये निजी भूमि पर लगे वृक्षों की कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, खण्डवा सहित अनेक जिलों में बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री रामनिवास रावत, सुखदेव पांसे, वीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य, श्योपुर जिले में एशियाई सिंह पुनर्वास योजनांतर्गत विस्थापित ग्रामीणों को कृषि योग्य भूमि न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, इंदौर के महू उप-जेल में कैदियों के मध्य खूनी संघर्ष से एक कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) विकासखंड सांईखेड़ा के ग्राम नांदनेर स्थित शा. हाईस्कूल का हा.से. में उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम सिरसिरी से मोहडघाट तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम सांईखेड़ा में बने तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(घ) ग्राम अमाडा से ग्राम बगलई तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ङ) ग्राम टेकापार से दुईयापानी तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम अमहा रामरतन वार्ड क्रमांक-14 में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गलेथा में भूरीसिंह के पुरा के पास पुलिया निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम खाण्डोली में पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(4) श्री रामदास उईके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम पोनार से तिराई के बीच जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम मोरडोंगरी खुर्द में शासकीय कन्या हाई स्कूल की स्वीकृति दिलाये जाने,

(ग) ग्राम पालाचौरई में शासकीय कन्या हाईस्कूल की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा

(घ) ग्राम घानाउमरी में पशु-औषघालय की स्वीकृति दिलाये जाने,

(5) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम कुम्हड़ी का शेर नदी से कटाव रोके जाने,

(ख) ग्राम देवाकछार एवं रातीकछार के बीच सड़क एवं पुल बनाये जाने,

(ग) ग्राम रानीपिपरिया एवं झगरहाई के बीच सड़क एवं पुल बनाये जाने,

(घ) ग्राम रमखिरिया, हिनोतिया की बारूरेवा नदी पर पुल बनाये जाने,

(ङ) ग्राम बम्होरी के उमर नदी पर पुल बनाये जाने,

(च) ग्राम आमगांव के नाले पर पुल बनाये जाने, तथा

(छ) नरसिंहपुर से बारारू तक सड़क एवं ऊमर नदी पर पुल बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

## 5. वक्तव्य

श्री रुस्तम सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, दिनांक 8 फरवरी, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 54) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 19 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**निर्धारित समय**

## 7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

**45 मि.** " सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान स्थापित किये जायें ".

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

**45 मि.** " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि राजगढ़ (ब्यावरा) तहसील में गैस पर आधारित पावर हाऊस (बिजली घर) की स्थापना की जाए ".

(3) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

**30 मि.** "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि उज्जैन से भुसावल व्हाया भोपाल फास्ट पैसेन्जर ट्रेन चलाई जाए".

(4) श्रीमती अलका जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

**30 मि.** " यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस को इंदौर तक चलाया जाए ".

**डॉ. ए.के. पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक 26 जुलाई, 2007**